न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 —29/2021(2021/101)

अनवान : —

गोविन्द सिंह पुत्र श्री मोमनराम जाति खाती निवासी छानीबडी तहसील भादरा
—प्रार्थी

बनाम

राजस्थान स्टेट जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा। — अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत नाम दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :—श्री गोविन्दसिंह मोठसरा प्रार्थी
पेरोकार राज अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक: 20/7/21

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा 3 सी एच एन के खाता संख्या 22/24 के मु.नं. 56 किला नं. 9 ता 12, 19 ता 22 की 2.0240 है. खातेदारी कृषि भूमि प्रार्थी गोविन्दराम पुत्र मोमनराम के नाम कृषि भूमी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

ऊपर वर्णित भूमि में प्रार्थी का नाम गोविन्दराम वल्द मोमनराम दर्ज हो गया है। जबकि प्रार्थी का सही नाम गोविन्दसिंह वल्द मोमनराम है। प्रार्थी के फोटो पहचान पत्र, बैंक पास बुक, पैन कार्ड एवं अन्य दस्तावेज गोविन्दसिंह नाम से ही है। प्रार्थी का सभी दस्तावेजों में नाम गोविन्दसिंह पुत्र मोमनराम ही दर्ज है।

उक्त भूल सद्भावी है। उक्त नाम में संशोधन नहीं होने पर प्रार्थी के हितों पर विपरीत असर पड़ता है। प्रार्थी उचित लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा है। इसलिए प्रार्थी उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि व राजस्व रिकार्ड में अपना नाम गोविन्दराम वल्द मोमनराम की जगह गोविन्दसिंह वल्द मोमनराम करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद अप्रार्थी पेरोकार राज ने जबाबदावा पेश किया।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.08.26 12:17:29 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। ... प्रार्थना पत्र रोही मौजा ... 3 सी एच एन के खाता संख्या 22/24 के मु.नं. 56 किला नं. 9 ता 12, 19 ता 22 की 2.0240 है. खातेदारी कृषि भूमि प्रार्थी गोविन्दराम पुत्र मोमनराम के नाम कृषि भूमी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

जिसमें प्रार्थी का नाम दर्ज करते समय संवहन से गोविन्दसिंह की जगह गोविन्दराम पुत्र मोमनराम दर्ज हो गया। जबकि प्रार्थी का सही नाम गोविन्दसिंह पुत्र मोमनराम है। प्रार्थी ने अपना प्रार्थना पत्र साबित करने के लिए साक्ष्य में सभी दस्तावेज पेश किये जो गोविन्दसिंह पुत्र मोमनराम नाम से ही है। इस प्रकार प्रार्थी अपना प्रार्थना पत्र साबित करने में सफल रहा है। अतः प्रार्थना पत्र 136 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अत : प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि रोही मौजा रोही मौजा 3 सी एच एन के खाता संख्या 22/24 के मु.नं. 56 किला नं. 9 ता 12, 19 ता 22 की 2.0240 है. खातेदारी कृषि भूमि प्रार्थी गोविन्दराम पुत्र मोमनराम के नाम कृषि भूमी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उसमें प्रार्थी का सही नाम **गोविन्दराम पुत्र मोमनराम की जगह गोविन्दसिंह पुत्र मोमनराम** दर्ज किया जावें। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद या जांच गोविन्दराम के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था में गोविन्दराम के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए भी गोविन्दराम नाम ही प्रभावी माना जावेगा। तथा नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छिपाया गया हो और भविष्य में कोई अन्य तथ्य प्रकट होता हो तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार भादरा को आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ..20/7/21.. को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.08.26 12:17:29 IST
Reason: SelfAttested

(...सिंह)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ